दिनांक 10–09–2018 को मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1– श्री शैलेश बगौली, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री बी0एस0, मनराल, अपर सचिव एवं निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
3– श्री ब्रजेश कुमार संत, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4– श्री एच0सी0 सेमवाल, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– श्री रणजीत सिंह, उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– श्री अरविन्द सिंह पांगती, उप सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7– श्री आलोक कुमार सिंह, अनुसचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शास
8– श्री राजेश कुमार, अनुसचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
9– श्री ए0पी0 अंशुमन, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड।
10– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11– श्री ए0आर0 सेमवाल, अपर आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12– श्री संजय कुमार, सहायक आयुक्त, कुमायूँ आयुक्त कार्यालय, नैनीताल।
13– श्री लोकेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक, (यातायात), देहरादून।
14– श्री हरीओम शर्मा, चीफ इंजिनियर, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
15– श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
16– श्री आर0 सी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग।
17– श्री लीलाधर व्यास, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
18– श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
19– श्री अरविन्द पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
20– श्री नरेश संगल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन मुख्यालय।
21– श्री मनोज श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, सूचना विभाग, देहरादून।
22– कैप्टन अभयजीत पी0एस0, बी0आर0ओ0।
23– श्रीमती मधुबाला रावत, शिक्षा विभाग, सदस्य लीड एजेंसी।
24– श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, निरीक्षक यातायात, सदस्य लीड एजेन्सी।
25– श्री मनमोहन सिंह, उप निरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
26– डॉ0 प्रवीन कुमार, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
27– श्रीमती अनीता चौहान, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
28– श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
29– श्री पी0के0 दीक्षित, ए0ई0, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
30– श्री पी0एन0 गवासने, जी0एम0(टी), एन0एच0ए0आई0, आर0ओ0, देहरादून।
31– श्री पी0एस0 गुसांई, जी0एम0(टी), एन0एच0ए0आई0, आर0ओ0, देहरादून।
32– श्री पी0के0 मौर्य, पी0डी0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
33– श्री पी0एस0 पाण्डेय, मैनेजर, एन0एच0ए0आई0, नजीबाबाद।
34– श्री एस कालरा, पीडी, पीआईयू, रूद्रप्रयाग।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा वर्ष 2018 में माह जुलाई, 2018 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि राज्य में 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं मैदान के 04 जनपदों में ही घटित हुई हैं। यह भी अवगत कराया गया

कि इन्हीं 04 जनपदों में जनसंख्या घनत्व एवं वाहनों का घनत्व सर्वाधिक है। माह जनवरी से जुलाई, 2018 तक राज्य में यद्यपि दुर्घटनाओं की संख्या में 7.45 प्रतिशत की कमी आयी है, परन्तु मृतकों की संख्या में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस वर्ष चम्पावत, अल्मोड़ा, टिहरी एवं पौड़ी जनपद में कुछ बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिसके कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं में चालक की लापरवाही के साथ–साथ सड़क की दशा की भी भूमिका रही है।

2– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 09–02–2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की विभागवार स्थिति का भी प्रस्तुतीकरण परिषद के समक्ष किया गया। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या 2112/2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2018 से भी मा0 परिषद को अवगत कराया गया।

3– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के चिन्हित 129 ब्लैक स्पॉट में से अभी तक 79 ब्लैक स्पॉट पर रोड सेफ्टी ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जबकि 16 स्थानों पर ऑडिट किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 33 ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालीन कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

4– इसी प्रकार ब्लैक स्पॉट से इतर 986 दुर्घटना सम्भावित स्थलों में से 103 में सुधार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जबकि अन्य स्थलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले 531 स्थलों के सम्बन्ध में आगणन प्राप्त हो गये हैं और उक्त आगणनों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

5– एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के निर्माण कार्य में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था उसे दूर कर लिया गया है एवं वर्षा के तत्काल बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

6– चिकित्सा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य में 08 जनपदों में ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है, जो कियाशील हैं। इसके अतिरिक्त टिहरी एवं रूद्रप्रयाग जनपद में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना का कार्य गतिमान है। पौड़ी एवं पिथौरागढ़ जनपद में ट्रॉमा सेन्टर स्थापित किये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

7– सड़क सुरक्षा विज्ञापन तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी 13 फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिनका प्रदर्शन सिनेमाघरों में एवं विद्यालयों में किया जा रहा है।

8– वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य में 20 निर्माता/आपूर्तिकर्ताओं को स्पीड गवर्नर विकय/स्थापित करने हेतु अधिकृत

किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा सभी परिवहन वाहनों में दिनांक 05–10–2018 तक स्पीड गर्वनर स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतीय मार्गों पर स्पीड गवर्नर युक्त वाहनों के संचालन में कठिनाई के परीक्षण हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिसमें आईआईटी, रूड़की के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि आईआईटी, रूड़की के अधिकारी उक्त परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण समिति की आख्या प्रस्तुत करने में विलम्ब हो रहा है। इस सम्बन्ध में आदेश दिये गये कि इस कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना है। अतः आईआईटी रूड़की के अधिकारी को छोड़ते हुये शेष तकनीकी सदस्यों द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के निर्देशन में परीक्षण करते हुये आख्या उपलब्ध करायी जाय।

9– आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त ट्रैक का निर्माण राज्य सरकार के बजट से किया जाना है, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में रूपये 1.50 करोड़ का बजट प्राविधान उपलब्ध है। यह भी अवगत कराया गया कि इस हेतु हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भूमि उपलब्ध हो गई है, जबकि देहरादून में आईडीटीआर में ही उक्त ट्रैक का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही हरिद्वार में ट्रैक निर्माण हेतु आईटीडीए, देहरादून के माध्यम से डीपीआर/आरएफपी बनवाये जाने का प्रस्ताव है।

10– यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत हरिद्वार एवं हल्द्वानी में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु रूपये–10.28 करोड़ (प्रत्येक) का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत सलाहाकार एआरएआई पुणे को कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है।

11– इसी प्रकार भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत हल्द्वानी में बृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु रूपये–23.67 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

12– बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

(1) राज्य में यद्यपि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है, परन्तु मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो चिन्ता का विषय है। अतः सभी विभागों को मिलकर इसमें कमी लाये जाने हेतु कार्यवाही करनी होगी। जहॉ एक ओर चालकों की दक्षता में सुधार की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर सड़कों के रख–रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाना होगा। अतः सभी विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आहूत की जाय। जनपद बागेश्वर, देहरादून व चम्पावत में निर्धारित से कम बैठकें आयोजित की गई

है। इन जनपदों के जिलाधिकारियों पृथक से लिखा जाय और सभी जिलाधिकारियों को परिषद के निर्देशों का अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाय।

(3) यद्यपि 33 ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालीन कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, परन्तु यह उपयुक्त होगा कि सभी 129 ब्लैक स्पॉट पर लघुकालीन कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिये जाय। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अधिकतर स्थानों पर लघुकालीन कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि लीड एजेन्सी द्वारा लघुकालीन कार्यों का निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर अपनी आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) राज्य में चिन्हित 986 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में केवल 09 जनपदों की सूचना सम्मिलित है, जबकि पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी एवं चमोली जनपदों की सूचना सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों की सूचना प्राप्त हुई है वह भी सभी मार्गों के सम्बन्ध में नहीं है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि वर्षा ऋतु के उपरान्त सभी जनपदों में जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से अभियान चलाकर मार्ग सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाय और उसकी आख्या लोक निर्माण विभाग/एनएचएआई/बीआरओ के साथ-साथ लीड एजेन्सी को भी प्रेषित की जाय।

(5) राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण लिंक मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले स्थानों पर स्पीड कामिंग उपाय किया जाना उचित होगा। अतः निर्देश दिये गये कि जंक्शन प्वाईंट पर दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समुचित स्पीड ब्रैकर, रम्बल स्ट्रिप एवं सूचना संकेत लगवाये जाय।

(6) एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि राजमार्ग निर्माण के दौरान विभिन्न मार्गों में से मीडियन खोले जाने की मॉग प्राप्त होती है और स्थानीय स्तर पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मीडियन का निर्माण सड़क सुरक्षा नीति के अनुसार ही किया जाय और यदि किसी मार्ग पर उक्त मानक से भिन्न स्थान पर मीडियन खोले जाने की मॉग प्राप्त होती है तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सड़कों के निर्माण के उपरान्त उनके रख-रखाव एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी फर्नीचर की स्थापना हेतु बजट का सदैव अभाव रहता है; उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सीआरएफ की भॉति यदि राज्य सरकार द्वारा भी लोक निर्माण विभाग के

लिए 10 प्रतिशत बजट सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए आरक्षित कर दे तो उससे सड़कों के रख–रखाव एवं रोड सेफ्टी फीचर स्थापित किये जाने में मदद मिलेग। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार करते हुये मा0 मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(8) राज्य सड़क सुरक्षा कोष में प्रशमन शुल्क का 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय तथा आबकारी विभाग द्वारा वसूल किये जा रहे 01 प्रतिशत सड़क सुरक्षा सैस को भी सड़क सुरक्षा कोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

(9) राज्य में ट्रामा सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि ट्रामा सेन्टर को कियाशील बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में उपकरण एवं स्टाफ की तैनाती की जानी उचित होगी। साथ ही जिन जनपदों में ट्रामा सेन्टर की स्थापना नहीं हुई है, वहॉ भी स्थापित किये जायें। यह भी निर्देश दिये गये कि गैर सरकारी चिकित्सालायों को भी चिन्हित कर एक पैनल बनाया जाना उपयुक्त होगा, ताकि दुर्घटना होने पर घायलों के उपचार हेतु उनका भी सहयोग लिया जा सके।

(10) आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सीआईआरटी को कन्सलटेन्ट नामित करने के स्थान पर आईटीडीए के माध्यम से डीपीआर एवं आरएफपी बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करायी जाय और तद्नुसार सफल निविदादाता का चयन करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जाय।

(11) लोक निर्माण विभाग द्वारा माह मार्च, 2018 से जून, 2018 तक कुल 518.72 किमी0 पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट के माध्यम से रोड मार्किंग की गई है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में यह सूचना प्रस्तुत की जाय कि कितने किमी0 मार्ग भाग में उक्त कार्य किया जाना था, जिसके सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण हो गया है व कितना अवशेष है।

(12) जनपद हरिद्वार एवं हल्द्वानी में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाय, ताकि योजना को समयबद्ध रूप में लागू किया जा सके। इसी प्रकार हल्द्वानी में प्रस्तावित चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु भी कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

(13) मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 06–07–2018 को पारित आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण राज्य का एक माह में ऑडिट सम्भव न होने के

सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग स्तर से मा0 न्यायालय को स्थिति से अवगत कराया जाय।

(14) मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में ट्रेफिक अवेयरनेस सेन्टर की स्थापना हेतु जिलाधिकारियों से अपेक्षित भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया जाय और तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या- 711 /ix-1/23(2014)/2018
देहरादूनः दिनांक 01 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा/शिक्षा/आबकारी/वित्त/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ गृह/शहरी विकास एवं वन विभाग, उत्तराखंण्ड शासन।
5- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
7- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8- आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9- आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11- महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
12- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
13- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
14- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
15- क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
16- कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, शिवालिक परियोजना, वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून।
17- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
18- गार्ड फाइल।